Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व वाद सं. 2023/331 बअनवान नरपतसिंह बनाम मोहनकंवर

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम (13) सीपीसी (प्रार्थना पत्र अंतर्गत 5 परिसीमा अधिनियम)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
13 08/24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। उभयपक्ष वकुलाय की प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम व मूल प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी पर बहस सुनी गई। विद्वान वकील प्रार्थी पक्ष श्री दिनेश माथुर ने बहस में प्रार्थना पक्ष में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये न्यायालय द्वारा राजस्व अपील 15/2021 में दिनांक 07.04.2022 को पारित आदेश एक पक्षीय आदेश होने तथा उक्त आदेश की जानकारी प्रार्थीगण को बैंक के ऋण के संबंध में राजस्व विभाग के अभिलेखों की प्रतियां प्राप्त करने पर प्रथम बार दिनांक 25.10.2023 को होने से नकले प्राप्त करने के बाद दिनांक 20.11.2023 को उक्त आवेदन पेश किया है जो अंदर अवधि काल माना जावें। वकील प्रार्थी ने बहस में मूल प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी गई की दिनांक 07.04.2022 को न्यायालय द्वारा पारित आदेश बिना सुनवाई, प्राकृतिक न्याय के सिद्धातों के विपरित, बिना वास्तवित रूप से तलबी किये, बिना अभिलेख तलब किये होने से पारित आदेश को अपास्त कर प्रार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय देने के आदेश पारित किये जाने की दलील दी गई। वकील प्रार्थी पक्ष की दलीलो का खण्डन करते हुये वकील अप्रार्थी श्री गणपतलाल चौधरी ने बहस में प्रार्थना पत्र जवाब के तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी गई की प्रार्थीगण को इस न्यायालय के आदेश की जानकारी पूर्व प्रस्तुत अपील के समय से माननीय अपर जिला न्यायाधीश की अदालत में दर्ज सिविल वाद के समय से है। जिस प्रकरण में प्रार्थीगण ने दिनांक 04.04.2022 के पूर्व अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। इस प्रकार प्रार्थीगण को पूर्व नामांतरणकरण अपील एवं नामांतरणकरण सं 599 के निरस्त होने की जानकारी पहले से थी परंतु प्रार्थीगण ने जानबुझ कर झुठा प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश किया है। जिससे प्रस्तुत प्रकरण परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अनुसार श्रवण योग्य नही होने से खारिज किये जाने की दलील दी गई। धारा 5 परिसीमा अधिनियम पर उभयपक्ष वकुलाय की बहस एवं परिसीमा अधिनियम में वर्णित प्रावधानों पर मनन के पश्चात प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13, आदेश 41 नियम 21 सपठित धारा 151 सीपीसी अंदर अवधि काल माना जाता है। धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार होने से वकील अप्रार्थी की मूल प्रकरण पर भी बहस सुनी गई। वकील अप्रार्थी ने मूल प्रकरण के जवाब में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी गई की कोई भी न्यायालय आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के तहत पुर्व में न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त केवल इसी आधार पर कर सकता है जब पूर्व निर्णीत प्रकरण में नोटिस/सम्मन की तामिल नहीं हुई हों। उक्त प्रकरण में तो न्यायालय में पुर्व प्रकरण अपील को दर्ज करते हुये नोटिस जारी करने का आदेश पारित किया, जिसकी अनुपालना में सम्मन जारी किये, जिसके आउटवर्ड नंबर आदेशिका में दर्ज है उसके बावजूद सम्मन जारी होने या न होने को चुनौती देना ही गलत है। न्यायालय द्वारा नियमानुसार तामील की पुरी प्रकीया को सीपीसी एवं रेवेन्यु कोर्ट मेन्युअल के अनुसार पुरी कर विधि अनुसार अपील में निर्णय पारित किया गया है। न्यायालय द्वारा आदेश 5 नियम 9 व नियम 12 सीपीसी के तहत जारी निर्देशों की पालना में प्रार्थीगण पर सम्मन तामील करवाई गई है तथा इसके बावजूद प्रार्थीगण ने उपस्थिति दर्ज नही करवाई थी जिस कारण एकतरफा कार्यवाही के आदेश न्यायालय द्वारा पारित किये गये थे। प्रोसेस सर्विस से प्रार्थीगण की तलबी नही होने से तथा सुमेरपुर निवासरत होने न्यायालय के आदेश से पोस्टल सर्विस से	

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये

तामील करवाये गये। आदेश 5 नियम 17 सीपीसी में सर्विंग ऑफिसर को परिक्षित करने का कोई प्रावधान नही है। जिससे भी प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। वकील अप्रार्थीगण ने वकील प्रार्थी की प्रतिस्थापित दलील को खारिज करते हुये दलील दी गई की प्रार्थीगण जो रेस्पोडेन्टस थे वो तमाम सुमेरपुर में निवास करते हैं तथा जो दुसरी तहसील में होने से जरिये रजि. पोस्ट तामील सुनिश्चित की गई। इस प्रकार रजि. डाक से प्रार्थीगण की तामील हो जाने से आदेश 5 नियम 20 सीपीसी के प्रावधानों के तहत प्रतिस्थापित तामील की आवश्यकता ही नही रहती है। जिससे प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किये जाने की दलील दी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड का अध्ययन किया गया व उभयपक्ष वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पूर्व निर्णीत पत्रावली अपील सं. 15/2021 मोहन कंवर बनाम नरपतसिह वगेरा अर्तगत धारा 75 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 में दिनांक 28.02.2022 को पारित आदेशिका के अवलोकन से ज्ञात है कि प्रार्थीगण को जारी सम्मन मधुबन कालोनी के सुमेरपुर के पते के लिफाफे रिफ्यूज की टिप्पणी के साथ प्राप्त होने से आदेश 5 नियम 17 सीपीसी के प्रावधानों के तहत प्रार्थीगण/रेस्पोडेंटस के सम्मन प्रोपर तामील माने गये तथा रेस्पोडेंटस सं 1, 2/1 लगाय 2/6 बावजुद सम्मन तामील के वकालतन/असालतन न्यायालय में अनुपस्थित रहने से प्रार्थीगण/रेस्पोडेंटस के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश दिये गयें। इसके पश्चात दिनांक 04.04.2022 को बहस समाहित करते हुये दिनांक 07.04.2022 को न्यायालय द्वारा अपील में आदेश पारित किये गये। वकील अप्रार्थी द्वारा सिवील न्यायालय में प्रस्तुत अपील की आदेशिकाओं के अवलोकन से ज्ञात है कि उक्त सिविल वाद में भी प्रार्थीगण द्वारा उपस्थिति दी गई है तथा उक्त सिवील वाद के पृष्ठ संख्या 6 में वादीनी द्वारा यह उल्लेखित किया गया है कि फौतेदगी नागांतरणकरण सं 599 स्वीकृत 22.12.2001 को चुनौती देते हुये नामांतरणकरण अपील पेश की गई है। इस प्रकार प्रार्थीगण को पूर्व निर्णित नामांतरणकरण अपील 15/2021 की जानकारी पूर्व से भली–भांति रही है तथा पूर्व प्रकरण में रजि. डाक से भेजे सम्मन के लिफाफे रिफ्युज की टिप्पणी के साथ पुनः लौटने के साथ आदेश 5 नियम 17 सीपीसी के प्रोविजो अनुसार सम्मन की प्रोपर तामील मानी गई है। विद्वान वकील अप्रार्थी पक्ष श्री गणपतलाल चौधरी की यह दलील भी मानने योग्य है कि आदेश 5 नियम 17 सीपीसी में सर्विंग ऑफिसर को परिक्षित करने का कोई प्रावधान नही है। इसके साथ ही **आदेश 9 नियम 13 सीपीसी में यह स्पष्ट रूप से प्राविधित किया गया है कि डिक्री को अपास्त करने वाला व्यक्ति न्यायालय का यह समाधान कर देता है कि यह सम्मन सम्यक रूप से नही की गई थी या वह वाद की सुनवाई के लिये पुकार होने पर उपसंजात होने से किसी पर्याप्त हेतूक से निवारित रहा था तो खर्चो के बारे में, न्यायालय में जमा कराने से या अन्यथा ऐसे निबंन्धनों पर जो वह ठीक समझे, न्यायालय यह आदेश करेगा की जहां तक यह डिक्री उस प्रतिवादी के विरूद्ध है वहा तक वह अपास्त कर दी जाये, और वाद में आगे कार्यवाही करने के लिये दिन नियत करेगा।** जबकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण की तामील रजि. डाक से आदेश 5 नियम 17 सीपीसी के तहत हो चुकी है जिससे आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के प्रोविजो अनुसार पुर्व में न्यायालय द्वारा राजस्व अपील 15/2021 में दिनांक 07.04.2022 को पारित आदेश को एक पक्षीय आदेश नही माना जा सकता लिहाजा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 9 नियम 13, आदेश 41 नियम 21 सपठित धारा 151 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हों।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner